



प्रेस नोट

दिनांक- 08-01-2025

थाना पूराकला पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुये, हत्या के अभियोग में शेष सभी वांछित 05 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल 12 बोर अद्धी व 02 अदद जिन्दा करातूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर किये गये बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी तालबेहट श्री अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में घटना के सफल अनावरण हेतु थाना पूराकला द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/ 103(2)/3(5) BNS में वांछित अभियुक्तगण- 1.जजपाल सिंह पुत्र जगभान सिंह 2. मनोहर सिंह पुत्र रामराजा 3.सुखपाल उर्फ हल्के पुत्र जागभान सिंह 4.सोनू पुत्र मनोहर सिंह 5. चन्द्रपाल पुत्र बहादुर सिंह निवासीगण ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर को नियमानुसार गिरफ्तार कर, न्यायिक अभिरक्षा हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त बलवीर पुत्र जगभान उम्र करीब 26 वर्ष व हेजवेन्द्र उर्फ तुल्ले उम्र करीब 20 वर्ष के बीच शराब के नशे में, रास्ते में जाते समय गाली गलौज व झगड़ा हुआ था। यह बात बलवीर ने अपने घर जाकर बताया और अन्य परिवारीजन को ले आया और हेजवेन्द्र के साथ वाद विवाद व मारपीट करने लगे। इसी बीच मृतक अमर सिंह पुत्र जुगराज उम्र करीब 55 वर्ष बीच-बचाव करने आये थे और अन्य परिवारीजन भी आ गये उसी दौरान तमंचे से फायरिंग की गयी जिसमें अमर सिंह उपरोक्त को गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी।

वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र उर्फ मुन्ना पुत्र केहर सिंह ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर, वादी के चाचा अमर सिंह उपरोक्त की गोली मारकर हत्या कर देना एवं वादी के भाई के साथ मारपीट करना व गोली मारकर भाग जाना तथा गाली-गलौज करते हुये, जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पूराकला में मु0अ0सं0 03/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/103(2)/3(5) BNS बनाम बलवीर पुत्र जगभान ठाकुर उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर आदि 08 नफर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा मुकदमें में वांछित शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था जिसमें थाना पूराकला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये वांछित अभियुक्तगण 1.जजपाल 2.मनोहर 3.सुखपाल उर्फ हल्के 4.सोनू 5. चन्द्रपाल को गिरफ्तार कर, अभियुक्त जजपाल उपरोक्त के कब्जे से आलाकत्ल 12 बोर अद्धी व 02 अदद जिन्दा करातूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये हैं।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण जजपाल आदि से पूछताछ करने पर बताया कि साहब दिनांक 05.01.2025 को दोपहर में मेरे परिवार के बलवीर व विपक्षी तुल्ले उर्फ हजवेन्द्र से शराब के नशे में झगड़ा हो गया था यह बात उसने घर आकर सब लोगों को बताया तो हम 12 बोर अद्धी व बलवीर व नन्हे राजा तमंचा तथा अन्य लोग लाठी, कुल्हाड़ी आदि लेकर रामसिंह के घर के पास पहुँचे तो वहाँ पर तुल्ले उर्फ हजवेन्द्र मिला जिसको हम सभी लोग मिलकर, सबक सिखाने के लिए गाली-गलौज करते हुये मारने लगे वही पर खडे राजपाल सिंह पुत्र केहर सिंह, अमर सिंह पुत्र जुगराज व धर्मेन्द्र उर्फ मुन्ना पुत्र केहर सिंह ने उसको बचाने का प्रयास किया व हम लोगों को रोका तब हम लोगों ने मिलकर उत्तेजित होकर उनके साथ भी मारपीट कर दी तथा हम लोगों ने जान से मारने की नियत से फायर किये जिसमें अमर सिंह गोली लग गयी और उनकी मृत्यु हो गयी। हम लोग मौके से अलग-अलग भाग गये थे। साहब हम लोगों से गलती हो गयी माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.जजपाल सिंह पुत्र जगभान सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर
2. मनोहर सिंह पुत्र रामराजा उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर
- 3.सुखपाल उर्फ हल्के पुत्र जागभान सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर
- 4.सोनू पुत्र मनोहर सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर
5. चन्द्रपाल पुत्र बहादुर उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर

बरामदगी का विवरण-

अभि0 जजपाल से बरामदगी- अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल 12 बोर अद्धी व 02 अदद जिन्दा करातूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर किये गये बरामद।

गिरफ्तारी का दिनांक- दिनांक 08.01.2025

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष पूराकला श्री अरुण कुमार तिवारी मय टीम